कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली।

पत्र संख्याःश–17 / सीएफओ / बरेली–2012./277. दिनांकःदिसम्बर 17 ,2012

सेवा में,

प्रबन्धक / स्वामी,
मानस स्थली स्कूल,
एन0एच0–24 निकट फरीदपुर बरेली।

विषयः मानस स्थली स्कूल, एन0एच0–24 निकट फरीदपुर बरेली का निरीक्षण कर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत निर्मित भवन की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत विद्यालय भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्निशमन अधिकारी फरीदपुर बरेली से सुसंगत मानको के अनुसार भौतिक निरीक्षण कराया गया तो उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या का परीशीलन कर निम्न विवरण पाया गयाः–

भवन की संरचना–

1– कुल भूखण्ड ऐरिया–74560.00 वर्गमीटर।

2– निर्मित कवर्ड ऐरिया–11268.92 वर्गमीटर।

3– भवन की ऊँचाई–10.50 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की ए–1 श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्थाऐं–

1– पहुँचमार्ग– एन0एच0–24 बरेली शाहजहाँपुर रोड के किनारे स्थित है।

2– सैटबैक– प्रश्नगत भवन के सैटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 एवं भवन निर्माण उपविधि–2008 / 10 के सुसंगत प्राविधान के अनुसार उपलब्ध नहीं है, प्रश्नगत भवन वर्ष–2005 से पूर्व का निर्मित है। इसलिये प्रश्नगत भवन को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 की धारा–3.11.3.1 (।।।) एवं शासनादेश संख्याः2688 / छः–पु0–8–08 दिनांकः20–11–2008 के विन्दु संख्या 02 के अनुसार पहुँचमार्ग, सैटबैक, एवं स्टेयरकेस में छूट प्रदान की जातीहै।

3– निकास मार्ग– मानकों के अनुसार उपलब्ध है।

घ– अग्निसुरक्षा व्यवस्था– निरीक्षण के दौरान अग्निसुरक्षा व्यवस्थाऐं मानकों के अनुरूप कियाशील दशा में उपलब्ध पायी गयी।

3– एग्जिट साईनेज–उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर मानस स्थली स्कूल, एन0एच0–24 निकट फरीदपुर बरेली को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

01– प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेंस सैड्यूल बनाया जाये।

02– प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु प्रशि0 स्टाफ नियुक्त किया जायें।

(डी0 के0 शर्मा)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
बरेली

क्रमश..........02

03— प्रश्नगत भवन में किसी प्रकार के अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

04— प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि आ जाने पर इसकी सूंचना अविलम्व स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को देते हुऐ तत्काल त्रुटि का निवारण कराया जायें।

05— संस्थान में प्रत्येक 06 माह में एक वार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल करायी जाय, तथा इमरजेंसी इवेकुऐशन प्लान बनाया जाये जिसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जायें।

06— वर्ष में एक वार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिबेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

07— संस्थान के प्रवेश / निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखें जाये।

08— संस्थान में विद्युत वायरिंग को सदैव कार्यक्षमता के अनुसार तकनीकी रूप से सुदृढ रखा जाये।

09— अग्निसुरक्षा व्यवस्थाऐं समय—समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप ही स्थापित करानी होगी।

10— अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग से कोई जन—धन की क्षति होती है तो अग्निशमन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11— अग्निशमन व्यवस्था इस बात का प्रमाण नही है कि आग नहीं लग सकती अपितु इनके सही एवं समय से प्रयोग कर जन—धन की हानि को रोका जा सकता है।

12— प्रश्नगत संस्थान के नियन्त्रण कक्ष में महत्वपूर्ण टेलीफोन नंम्बरों की पट्टिका लगायी जाये।

अतः भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी / प्रबन्धक का होगा। अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

17/12/12

(विवेक कुमार शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
बरेली।

प्रतिलिपि— अग्निशमन अधिकारी फरीदपुर बरेली को अभिलेखनार्थ।

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं० 13003

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद बरेली उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या प-3/FSO-BRY/2019 दिनांक 08/03/2019

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

मानस स्थली स्कूल

एन० एच०- 24 निकट फरीदपुर

जनपद बरेली

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या 9/एम०एस० दिनांक 03/03/2019

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 25 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये 250=00 भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुख्य शाखा बरेली जनपद बरेली में चालान संख्या C8A9320 दिनांक 08/03/2019 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 25 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक। 08/03/2019 (08-03-2019)
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। अग्निशमन अधिकारी फरीदपुर, बरेली
3. संस्थान का विवरण। मानस स्थली स्कूल एन०एच० 24 निकट फरीदपुर बरेली
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 25 अदद
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 25 अदद
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1-	ए० बी० सी० टाइप	05 किग्रा०	25	कार्यशील
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरों के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

(नाम एवं हस्ताक्षर)
अग्निशमन अधिकारी
मुहर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी..........।
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय..........।